बिहार सरकार
उद्योग विभाग,
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय

ज्ञापांक–ह0क0(13)विविध–25 / 2017 पटना, दि0– / 2018

प्रतिलिपि–महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालन्दा / गया / नवादा / मधुबनी / औरंगाबाद / सीवान / रोहतास / कैमूर / भागलपुर / खगड़ियाँ / मुजफ्फरपुर / पटना / बांका / उप विकास पदा0(वस्त्र),भागलपुर / गया / मुजफ्फरपुर / दरभंगा। / सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ (हस्तकरघा) राजेन्द्रनगर, पटना / बुनकर सहयोग समितियाँ, गुलजारबाग, पटना / सहायक उद्योग निदेशक(रे0), पटना प्रमंडल, पटना / प्रबंधक, पॉलिस्टर एवं सिल्क वस्त्र प्रशि0 सह उत्पादन केन्द्र, बरारी, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित एवं निदेश दिया जाता है कि उक्त पत्र के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाय।

11/01/18

उप उद्योग निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–ह0क0(13)विविध–25 / 2017 98 पटना, दि0– 12/01 / 2018

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उन्हें निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र को अनुलग्नक सहित विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट किया जाय।

11/01/18

उप उद्योग निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांकः– 5491 पटना/दिनांकः– 26.12.17
01/उ0ब0(स0)विविध(संचित राशि की जाँच)–10/2017

प्रेषक

उप उद्योग निदेशक,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

महत्वपूर्ण स्मार

निदेशक हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना।
उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।
निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना।
निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण, बिहार, पटना।
उप सचिव–सह–प्रभारी लेखा–शाखा/प्रभारी प्रशाखा–5(स0) एवं 6 (स0),
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम का कार्यालय, बिहार, पटना
27 DEC

विषयः– **बैंक खातों में संचित राशि की समीक्षा कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंग:– ***मुख्य सचिव का पत्रांक 8978/वि0 दि0 17.11.2017, प्रधान सचिव, वित्त विभाग का पत्रांक 1144/वि0 दि0 20.11.2017, वित्त विभाग अर्द्धस0प0सं0 5200 दि0 05.12.17 उद्योग विभाग का पत्रांक 4990 दि0 22.11.2017 एवं 5352 दिनांक 14.12.17।***

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन मुख्य सचिव, बिहार एवं प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त पत्रों एवं तद्नुसार विभागीय पत्रों का कृपया स्मरण किया जाय। निदेश के आलोक में उद्योग विभाग एवं अधिनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में संधारित बैंक खातों की समीक्षा से संबंधित वांछित प्रतिवेदन एवं उक्त आशय का प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र विभाग को अबतक अप्राप्त है।

अत्एव आग्रह है कि तत्संबंधी मुख्य सचिव महोदय एवं वित्त विभाग द्वारा दिये गये निदेशों के आलोक में वांछित प्रतिवेदन समेकित रूप से विहित प्रपत्र में विभाग को अविलंब उपलब्ध करायी जाय। विहित प्रपत्र की छायाप्रति पुनः संलग्न की जा रही है।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाय।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

26/12/17
उप उद्योग निदेशक,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

1604/DBI
28/12/17

5625
29.12.17

अंजनी कुमार सिंह, भा०प्र०से०
मुख्य सचिव
Anjani Kumar Singh, I.A.S.
Chief Secretary

बिहार सरकार
मुख्य सचिवालय, पटना - 800 015
GOVERNMENT OF BIHAR
Main Secretariat, Patna - 800 015
Tel. No. : 0612-2215804 (O), Fax : 0612-2217
E-mail : anjani41@yahoo.com

17 NOV 2017

पत्रांक-एम-4-07/2017(खंड)....8978..../वि0
दिनांक....17....नवम्बर, 2017

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषयः- **बैंक खातों में संचित राशि की समीक्षा कर प्रतिवेदित करने के संबंध में ।**

महाशय,

वित्त विभागीय पत्रांक-5819/वि0 दिनांक 19.08.2017 एवं 6071/वि0 दिनांक 30.08.2017 द्वारा सभी विभागों/प्रमंडलों/जिलों से विहित प्रपत्र A, B एवं C में बैंक खातों में संचित राशि की समीक्षा कर प्रतिवेदन की मांग की गयी थी, जिसके आलोक में 35 विभागों, 7 प्रमंडलों एवं 23 जिलों से प्रतिवेदन प्राप्त हुये हैं । प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार कुल 21002 बैंक खाते संधारित हैं जिनमें कतिपय विभागों के अंतर्गत कार्यरत बोर्ड/निगम/सोसाईटी/आयोग भी शामिल हैं । दिनांक 31.08.2017 तक इन बैंक खातों में कुल 31265.24 करोड़ रूपये (बोर्ड/निगम/आयोग/सोसाईटी सहित) संचित हैं । बैंक खातों एवं उनमें संचित राशि के अवलोकन से प्रतीत होता है कि कतिपय विभागों/जिलों में वित्त विभाग की सहमति के बिना बड़ी संख्या में बैंक खाते खोलकर उनमें बहुत बड़ी राशि संचित की गयी है, जो अत्यन्त चिंतनीय है । इससे यह भी परिलक्षित होता है कि समय-समय पर निर्गत वित्त विभागीय निदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है ।

2. बैंक खातों में संचित राशि के समीक्षोपरान्त निम्नांकित तथ्य परिलक्षित होते हैं :-

(i) विभागों/जिलों में वित्त विभाग की सहमति के बिना बड़ी संख्या में बैंक खाते खोले गये हैं जिनमें बहुत बड़ी राशि संचित की गयी है, जो स्पष्ट रूप से समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत निदेशों एवं बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-34, 176, 177 में निहित प्रावधानों के प्रतिकूल है ।

(ii) विभागों/जिलों द्वारा इन बैंक खातों में ऐसी राशि जो लंबे समय से पार्क कर रखी गयी है तथा अव्यवहृत है, के कारण राज्य के समेकित निधि के कैश बैलेंस पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है, वही दूसरी ओर वर्षवार राज्य की योजनाओं के वित्त पोषण हेतु राज्य सरकार द्वारा ऋण उगाही की जाती है जिस पर एक बड़ी राशि ब्याज के रूप में राज्य सरकार को वहन करना पड़ता है ।

3. सम्यक् विचारोपरान्त सभी विभागों/प्रमंडलों/जिलों द्वारा निम्नांकित अनुदेशों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित करने का निदेश दिया जाता है :-

(i) **सभी विभागों/प्रमंडलों/जिलों द्वारा संधारित बैंक खातों की समीक्षा विभाग के स्तर पर करते हुये, जिन बैंक खातों का संधारण आवश्यक नहीं है उन्हें बंद कर उनमें संचित राशि जिसके व्यय की संभावना दिनांक 31.03.2018 तक नहीं है, को राज्य की समेकित निधि में दिनांक 31.12.2017 तक जमा कराना सुनिश्चित किया जाए ।**

(ii) विभाग के द्वारा समीक्षोपरान्त जिन बैंक खातों का संधारण अपरिहार्य पाया जाता है, के संबंध में वित्त विभाग की विशेष अनुमति संचिका में युक्तियुक्त कारणों के साथ प्राप्त करने की कार्रवाई की जाए । जिन बैंक खातों को वित्त विभाग की विशेष अनुमति प्राप्त किये बगैर खोला गया है, के संदर्भ में वित्त विभागीय घटनोत्तर अनुमति प्राप्त किया जाना अपरिहार्य होगा ।

(iii) जिन बैंक खातों में संचित राशि का श्रोत ज्ञात नहीं है, तथा जिसके व्यय की संभावना नहीं है, को राज्य के समेकित निधि में जमा करने हेतु उचित शीर्ष का निर्धारण कर वित्त विभाग के द्वारा अलग से पत्र निर्गत किया जा रहा है । ऐसी संपूर्ण राशि को 15.12.2017 तक राज्य की समेकित निधि में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

(iv) बैंक खातों में संधारित छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन योजना इत्यादि की राशि जिसका व्यय भूतलक्षी प्रभाव से नहीं किया जा सकता है, को 15.12.2017 तक राज्य की समेकित निधि में जमा कराना सुनिश्चित किया जाए ।

(v) वित्त विभागीय पत्र संख्या-7691/वि0 दिनांक 22.09.2017 की कंडिका-ग में विभागों/कार्यालयों में संधारित बैंक खातों के संचालन एवं वित्तीय संव्यवहार हेतु निर्गत दिशा निर्देश का शत प्रतिशत अनुपालन 30.11.2017 तक सुनिश्चित किया जाए ।

(vi) भागलपुर जिले में घटित सृजन घोटाले की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिये बैंक खातों के संधारण की आवश्यकता तथा इससे वित्तीय संव्यवहार संबंधी सभी कार्यों के लिये संबंधित विभागों को उत्तरदायी बनाने का निर्णय लिया गया है । सभी विभाग अपने स्तर पर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के बैंक खातों की अर्द्धवार्षिक समीक्षा कर संलग्न विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन इस आशय के प्रमाण पत्र के साथ वित्त विभाग को प्रेषित करेंगे कि इनके संधारण में सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन किया गया है ।

उपरोक्त कंडिका-(i) से (vi) में निहित निदेशों का अनुपालन निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण किया जाना अपरिहार्य है । निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत उपरोक्त निदेशों का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग/जिला द्वारा कोषागार से वित्तीय संव्यवहार दिनांक 31.12.2017 के उपरान्त बंद कर दिया जाएगा ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए ।

अनुलग्नकः- विहित प्रपत्र ।

विश्वासभाजन

17/11/17

(अंजनी कुमार सिंह)

(5)
उप उद्योग निदेशक
श्री सुरेश कुमार

विभागों एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय में संधारित बैंक खातों की अर्द्धवार्षिक समीक्षा का प्रतिवेदन

विभाग	विभाग/संलग्न कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय के बैंक खातों की कुल संख्या	खातों में संधारित कुल राशि (30 जून एवं 31 दिसम्बर तक)	अभ्युक्ति

प्रमाण पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरणी में उल्लेखित सभी बैंक खाते वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर संधारित किये गये हैं ।

2. उपरोक्त बैंक खातों के संचालन एवं वित्तीय संव्यवहार के क्रम में वित्त विभागीय पत्र संख्या-7691/वि0 दिनांक 22.09.2017 की कंडिका-ग में निर्गत दिशा निर्देश का अनुपालन किया गया है ।

हस्ताक्षर

प्रधान सचिव/सचिव